

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय  
योजना एवं विकास कार्यालय

\*\*\*

संख्या-10-25/96-हि0प्र0वि0(योजना)खण्ड-7

दिनांक: 06.09.2013

अधिसूचना

कार्यकारिणी परिषद की बैठक 22.08.2013 की मद संख्या 6 के अंतर्गत आंतरिक गुणवत्ता आश्वस्तता प्रकोष्ठ द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की अर्थपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्लबों/सोसाइटियों के गठन को मंजूरी प्रदान की है, जिसकी सूची नियमों सहित संलग्न है।

अतः सभी सम्बन्धित अधिकारियों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वह इन क्लबों/सोसाइटियों के नियमानुसार गठन एवं संचालन हेतु आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें और इन क्लबों/सोसाइटियों को स्थापित करें।

प्रति संलग्न:

अधिष्ठाता, नियोजन

पृष्ठांकन संख्या सम:

दिनांक: 06.09.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु:-

1. अधिष्ठाता, अध्ययन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
2. सभी अधिष्ठाता, संकाय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/मुख्य छात्रापाल, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
4. सभी विभागाध्यक्ष, विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
5. सभी निदेशक, संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर, शिमला-5.
6. प्रधानाचार्य, सांध्यकालीन शिक्षण केन्द्र, द मॉल, शिमला-1.
7. कुलसचिव, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
8. वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
9. सहायक कुलसचिव, शैक्षणिक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
10. सहायक कुलसचिव, प्रशासन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.
11. विशेष निजी सचिव, कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5.

अधिष्ठाता, नियोजन

**हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की अर्थपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने  
के लिए विभिन्न क्लबों/सोसाइटियों की सूची व नियम**

| क्र०सं० | क्लब/सोसाइटी का नामकरण  | विभाग   |
|---------|---|---|
| 1.      | हि०प्र०वि० छाया चित्र क्लब/सोसाइटी<br>(HPU Photography Club/Society)  | भौतिकी एवं गणित विभाग   |
| 2.      | हि०प्र०वि० हरित पर्यावरण क्लब/सोसाइटी<br>(HPU Green Environment Club/Society)   | जैव प्रौद्योगिकी विभाग, रसायन विज्ञान<br>विभाग एवं भारतीय संस्थान हिमालय<br>अध्ययन                                |
| 3.      | हि०प्र०वि० नाटक एवं नाटकीय<br>क्लब/सोसाइटी<br>(HPU Drama & Dramatics Club/Society)  | राजनैतिक विज्ञान विभाग  |
| 4.      | हि०प्र०वि० ऊर्जा क्लब/सोसाइटी<br>(HPU Energy Club/Society)  | भौतिकी विभाग  |
| 5.      | हि०प्र०वि० वैज्ञानिक सोच एवं विज्ञान<br>लोकप्रियता क्लब/सोसाइटी<br>(HPU Scientific Temper & Science<br>Popularization Club/Society) | जैव विज्ञान विभाग, रसायन विज्ञान<br>विभाग एवं गणित विभाग  |
| 6.      | हि०प्र०वि० कानूनी सहायता क्लब/सोसाइटी<br>(HPU Legal Aid Club/Society)   | कानून विभाग एवं लोक प्रशासन<br>विभाग  |
| 7.      | हि०प्र०वि० बहस एवं चर्चाएं क्लब/सोसाइटी<br>(HPU Debates and Discussions Club/Society)   | हि०प्र०वि० व्यवसायिक अध्ययन<br>विद्यालय, हि०प्र०वि० व्यवसायिक<br>अध्ययन महाविद्यालय एवं राजनीतिक<br>विज्ञान विभाग |
| 8.      | हि०प्र०वि० कला साहित्य क्लब/सोसाइटी<br>(HPU Arts Literature Club/Society)   | अंग्रेजी, हिन्दी, विदेशी भाषाएं एवं<br>संस्कृति विभाग   |
| 9.      | हि०प्र०वि० सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्लब<br>(HPU Information & Communication<br>Technology Club)                                | UIIT एवं कम्प्यूटर विज्ञान विभाग  |
| 10.     | हि०प्र०वि० प्रौढ़ शिक्षा एवं नए साक्षर<br>क्लब/सोसाइटी<br>(HPU Adult Education & New Literates<br>Club/Society)                     | आजीवन शिक्षा एवं शिक्षा विभाग   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 11. | हि0प्र0वि0 स्वास्थ्य एवं परामर्श क्लब / सोसाईटी<br>(HPU Health & Counselling Club/Society)   | हि0प्र0वि0 स्वास्थ्य केन्द्र, मनोविज्ञान विभाग एवं योग विभाग             |
| 12. | हि0प्र0वि0 दृश्य कला क्लब / सोसाईटी<br>(HPU Visual Arts Club/Society)                        | दृश्य कला विभाग  |
| 13. | हि0प्र0वि0 संगीत क्लब / सोसाईटी<br>(HPU Music Club/Society)                                  | संगीत विभाग  |
| 14. | हि0प्र0वि0 महिला सशक्तिकरण क्लब / सोसाईटी<br>(HPU Women Empowerment Club/Society)            | हि0प्र0वि0 महिला केन्द्र एवं अर्थशास्त्र विभाग                           |
| 15. | हि0प्र0वि0 अन्तर्राष्ट्रीय छात्र क्लब / सोसाईटी<br>(HPU International Students Club/Society) | अधिष्ठाता अध्ययन, अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं इतिहास विभाग                |
| 16. | हि0प्र0वि0 साहसिक क्लब / सोसाईटी<br>(HPU Adventure Club/Society)                             | शारीरिक शिक्षा निदेशालय, शारीरिक शिक्षा विभाग एवं भूगोल विभाग            |
| 17. | हि0प्र0वि0 सामुदायिक रेडियो क्लब / सोसाईटी<br>(HPU Community Radio Club/Society)             | पत्रकारिता विभाग (परिसर एवं दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र )                    |
| 18. | हि0प्र0वि0 पर्यटन क्लब / सोसाईटी<br>(HPU Tourism Club/Society)                               | व्यवसायिक अध्ययन संस्थान, जनजातीय अध्ययन केन्द्र एवं बौद्ध शिक्षा विभाग  |
| 19. | हि0प्र0वि0 उद्यमियों क्लब / सोसाईटी<br>(HPU Entrepreneurs Club/Society)                      | वाणिज्य विभाग, अर्थशास्त्र विभाग<br>हि0प्र0वि0 व्यवसायिक अध्ययन विद्यालय |
| 20. | हि0प्र0वि0 पुस्तक प्रेमी क्लब / सोसाईटी<br>(HPU Book Lovers Club/Society)                    | हि0प्र0वि0 पुस्तकालय   |
| 21. | हि0प्र0वि0 सामाजिक संजाल क्लब / सोसाईटी<br>(HPU Social Networks Club/Society)                | समाज शास्त्र विभाग एवं हि0प्र0वि0 व्यवसायिक अध्ययन विद्यालय              |
| 22. | हि0प्र0वि0 शतरंज क्लब<br>(HPU Chess Club)  | गणित विभाग एवं सांख्यिकी विभाग   |
| 23. | हि0प्र0वि0 दूरस्थ शिक्षा शिक्षार्थियों की क्लब<br>(HPU Distance Education Learners Club)     | निदेशक, दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र  |

यह क्लब एवं सोसाईटी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी दिखाई जायेंगी। प्रत्येक क्लब/सोसाईटी की निम्नलिखित **संरचना** होगी।

1. संबंधित विभाग के अध्यक्ष
2. एक विभाग अध्यापक विशेष रूप से सबसे कम उम्र का
3. माननीय कुलपति द्वारा नामित एक अध्यापक सदस्य जो कि विभाग से बाहर का हो
4. विभाग के चुने हुए प्रतिनिधि
5. सभा के अन्य सदस्य खुले निमंत्रण द्वारा सभा के सदस्य रखे जाएंगे
6. सभा में एक छात्र सचिव होगा जो कि उस सभा में पंजीकृत छात्रों में क्लब या सोसाईटी द्वारा नामित होगा
7. सभा के अध्यापक सदस्यों में से एक कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा
8. सभा का सभापति उस विभाग का अध्यक्ष होगा, अगर एक से अधिक विभागों के अध्यक्ष इसमें सम्मिलित होंगे तो सभापतित्व वर्णानुक्रम द्वारा होगा

प्रत्येक सभा निम्नलिखित कार्यानुदेश द्वारा कार्य करेगी।

1. सभा के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
2. विशेषज्ञों को आमंत्रित करके क्लब/सोसाईटी के सदस्यों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना।
3. प्रदर्शनियों, शिविरों और अन्य ऐसी गतिविधियों को आयोजित करना जो सभाओं के उद्देश्यों के लक्ष्यों की पूर्ति में वाहक हो।
4. सभा हर सत्र में कम से कम 2 बैठकें एवं दो कार्यक्रम करेगी।
5. शिक्षार्थियों के लिए रचनात्मक संभावनायें प्रदान करने के लिए इस तरह के अन्य कार्यक्रम की योजना बनाना।

विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को ऐसी कम से कम दो सभाओं का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।